

संख्या 00923/2023-2024

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

दिनांक 06/03/2024



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/SAH/15043/2023-2024

पत्रावली संख्या: S/SAH/0009060 दिनांक: 2018-2019

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शान्ति देवी मैमोरियल एजुकेशनल सोसायटी, ग्राम करौन्दी डा0 मुसैल तहसील बेहट जिला सहारनपुर, सहारनपुर, 247120 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- SAH/09030/2018-2019 दिनांक-12/02/2019 को दिनांक-12/02/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(Vijay Shukla)

2E21C61135F1DEC916D704D7C095EC4B04FFB406

Date: 06/03/2024 6:11:16 PM, Location: Saharanpur.

जारी करने का दिनांक-06/03/2024

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Reetu
Manager

Scholar's Pride Public School
Vill-Mirzapur Pujneki (Karondi)
Saharanpur-247120 (U.P.)

:: नोट ::

Principal
Scholar's Pride Public School
Vill. Mirzapur Pujneki (Karondi)
Saharanpur-247001

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे, अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AE 324705

यह जनरल स्टाम्प पेपर-शान्ति देवी मैमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम कशौन्दी डा0 मुसैल तहसील-बेहट जिला-सहारनपुर की संशोधित नियमावली की सत्यप्रतिलिपि के साथ संलग्न है।



11 सहायक निबंधक
फार्म, सोसायटीज एवं चिट्ठा
उ०प्र० सहारनपुर
02/05/2024

Reetu
Manager
Scholar's Pride Public School
Vill-Mirzapur Pujneki (Karondi)
Saharanpur-247120 (U.P.)

Principal
Scholar's Pride Public School
Vill. Mirzapur Pujneki (Karondi)
Saharanpur-247001

संशोधित नियमावली

संस्था का नाम	:	शान्ति देवी मैमोरियल एजुकेशनल सोसायटी।
संस्था का पता	:	ग्राम करौन्दी डा0 मुसैल तहसील बेहट जिला सहारनपुर
संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश।
सम्पर्क संख्या	:	9536168716
संस्था के सदस्यता तथा वर्ग	:	

सदस्यता का प्रकार	शुल्क	सदस्य बनाने की प्रक्रिया
आजीवन सदस्य	2100	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।
संरक्षक सदस्य	5100	संस्था के संस्थापक ही संरक्षक सदस्य कहलाते हैं संस्था स्थापना के लिया इनके द्वारा संस्था के कोष में दी गयी चल या अचल सम्पत्ति ही इनका सदस्यता शुल्क होगा।
सामान्य सदस्य	200	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निःस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

सदस्यता की समाप्ति

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
7. नैतिक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

संस्था के अंग

1. साधारण सभा।
2. प्रबन्धकारिणी समिति।

साधारण सभा

गठन

: साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य, सामान्य सदस्य को मिलाकर किया जायेगा।

बैठके

सत्य प्रतिलिपि

: साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अर्जेन्डा जारी किया जायेगा जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

॥ सहायक निदेशक
फार्म, सोसायटीज एवं चिट्ठे

02/05/2024

Reetu
Manager

Scholar's Pride Public School
Vill-Mirzapur Pujneki (Karondi)
Saharanpur-247120 (U.P.)

Reetu Amandeep

Nisha

Principal
Scholar's Pride Public School
Vill. Mirzapur Pujneki (Karondi)
Saharanpur-247001
Jagdeep Kumar

- सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 1 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।
- गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।
- विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि : 31 मार्च
- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य : साधारण सभा को कार्यकारिणी कमेटी के पदाधिकारियों को चुनने संस्था के संविधान में संशोधन करने बजट तथा आय व्यय पास करने तथा विधि द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार साधारण सभा का होगा यह संस्था की सर्वोच्च सभा होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति

- गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधारियों/सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, सचिव-1, सदस्य-4 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 7 होगी।

- सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 8 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

- बैठके : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

- गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य : साधारण सभा द्वारा लिये गये निर्णयों को अपनी देखरेख में क्रियान्वित करना।

- रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

- कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

- प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया : प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।



सत्य प्रतिलिपि

सहयक निबन्धक

सहयक निबन्धक

सहयक निबन्धक

सहयक निबन्धक

सहयक निबन्धक

सहयक निबन्धक

Reetu Puri

Manager

Scholar's Pride Public School

Vill-Mirzapur Pujneki (Karondi)

Saharanpur-247120 (U.P.)

02/05/2014

Amandeep

Nisha

Jagdeep Kumar

Principal
Scholar's Pride Public School
Vill-Mirzapur Pujneki (Karondi)
Saharanpur-247001

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष :

1. साधारण सभा तथा कार्यकारिणी कमेटी द्वारा आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करना एवं विशेष बैठक बुलाने के लिए निर्देश देना आवश्यकता पड़ने पर स्वयं बैठक बुलाना।

2. साधारण सभा तथा कार्यकारिणी कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों को अपनी देख रेख में पूर्ण कराना।

सचिव :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति से कार्यकारिणी कमेटी व साधारण सभा की बैठक बुलाना व बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में लिखना तथा बैठक में लिये निर्णय को पूर्ण करना तथा सचिव अपने विवेक से 500 रुपये तक एक बार में खर्च कर सकता है इससे अधिक के लिए कार्यकारिणी कमेटी से अनुमति लेनी होगी व सभी बाउचरों की जांच के उपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से भुगतान करने की संस्तुति करना।

कोषाध्यक्ष :

संस्था के कोष की देखभाल करना व संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में जमा करना व सचिव के निर्देशों का पालन करना व आय व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना व संस्था का सभी रिकार्ड सुरक्षित रखना।

सदस्य :

संस्था के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना व संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशानुसार कार्य करना व संस्था के हित में कार्य करना।



संस्था का कोष

पदाधिकारी :

1. अध्यक्ष
2. कोषाध्यक्ष

आय के स्रोत :

1. Foreign Grants
2. Government Donation
3. Government Loan
4. Membership Fee
5. Other Sources

संस्था के नियमों व विनियमों में :

संशोधन प्रक्रिया

संस्था का कोष :

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा।

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शिड्यूल बैंक, पोस्ट ऑफिस या प्राईवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा, जिसका संचालन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध :

अदालती से संचालन का

उत्तरदायित्व

सत्य प्रतिलिपि

संस्था के द्वारा अथवा उसके के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था का अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य पदाधिकारी या व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।

Reetu
Manager

सहायक रजिस्ट्रार
कोष, सोसायटी के पदाधिकारी
सहारापुर क्षेत्र सहारापुर

Amandeep

Nisha

Principal

Scholar's Pride Public School

Vill-Mirzapur Pujneki (Karondi)

Saharanpur-247120

Scholar's Pride Public School

Vill-Mirzapur Pujneki (Karondi)

Saharanpur-247120 (U.P.)

02/05/2024

संस्था के आय व्यय का लेखा :
परीक्षण (ऑडिट)
संस्था के अभिलेख

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य
ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा।

- 1- सदस्यता रजिस्टर।
- 2- कार्यवाही रजिस्टर।
 - (a) साधारण सभा।
 - (b) कार्यकारी निकाय।
- 3- स्टॉक रजिस्टर।
- 4- लेजर बुक।
- 5- कैश बुक।
- 6- सदस्यता शुल्क रसीद बुक।
- 7- दान रसीद बुक।

विघटन



संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसायटी
रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

प्रतिबन्ध :-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद की मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था द्वारा शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

Reetu
Manager
Scholar's Pride Public School
Vill-Mirzapur Pujneki (Karondi)
Saharanpur-247120 (U.P.)

Reetu

Amandeep Nisha
सत्य प्रतिलिपि
प्रधाना, सोसायटीज एवं विद्स
सहारापुर
02/05/2014

Principal
Scholar's Pride Public School
Vill. Mirzapur Pujneki (Karondi)
Saharanpur-247001
Tagdeep Kumar

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों का प्रदान की जायेगी।
- (10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

दिनांक /

हस्ताक्षर /



Amandeep


पवन सिंह

Reetu

Nisha

Jagdeep Kumar

सत्य प्रतिलिपि


 सहायक निबन्धक
 फार्म, सोसायटीज एवं चिट्ठा
 उ०प्र० सहारनपुर
 02/05/2024

Reetu
 Manager
 Scholar's Pride Public School
 Vill-Mirzapur Pujneki (Karondi)
 Saharanpur-247120 (U.P.)


 Principal
 Scholar's Pride Public School
 Vill. Mirzapur Pujneki (Karondi)
 Saharanpur-247001